न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 91/2016
अपीलांट

1. मृतक भीकाराम के वैधिक वारिसान
   1/1 शेषाराम पुत्र भीकाराम
   1/2 नथाराम पुत्र भीकाराम
   1/3 मिसराई बेवा भीकाराम
   1/4 धनवती पुत्री भीकाराम
   1/5 गवरी पुत्री भीकाराम
   1/6 नाथी पुत्री भीकाराम
   1/7 परमेश्वरी पुत्री भीकाराम
   1/8 मीमा पुत्री भीकाराम जी तमाम जाति घांची निवासीगण धीनावास रोड पाली दरवाजा के बाहर, सोजत जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. पेमाराम पुत्र छैलाराम जाति घांची निवासी धीनावास रोड पाली दरवाजा के बाहर सोजत जिला पाली
2. सम्पतराज पुत्र सुन्दरलाल जाति माली निवासी मेला चौक शितला वाडी मंदिर के पास, सोजत जिला पाली।
3. जेठाराम पुत्र गणपतलाल जाति घांची निवासी धीनवास रोड पाली दरवाजा के बाहर सोजत जिला पाली।
4. डायाराम पुत्र गणपतलाल जाति घांची निवासी पाली दरवाजा के बाहर सोजत जिला पाली।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री महेश नारायण ओझा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 2/2016 बउनावान जेठाराम बनाम सम्पतराज वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरान का वाद के पद संख्या 3 में प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार वादी के हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 के हिस्से में आयी अलग अलग भूमि का सीमांकन बाई मीट एंड बाण्उड्स के करवाया जाकर अलग अलग रूप से खातेदारी में अंकन करवाय जावे, तथा इसी अनुरूप कब्जा दिलाया जावे। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03, व 04 की खातेदारी एवं कब्जाशुदा आराजी है। जिस पर अपीलांट का सम्पूर्ण आराजी में 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03 व 04 की संयुक्त खातेदारी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेमाराम ने अपने 1/3 हिस्से में से 1/13 वां हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजी में से 10/39 वा हिस्सा रेस्पोडेन्ट सम्पतराज को बेचान करना जाहिर किया है। किन्तु वास्तव में अपीलांट का संपूर्ण आराजी पर संवत 2012 से आज दिन तक कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी नथाराम ने एक आवेदन मय शपथ पत्र दिनांक 26.04.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी के आदेश दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध राजस्व मंडल अजमेर में निगरानी विचाराधीन है, जिसमें आगमी पेशी 26.04.2016 नियत है। तथा उसके साथ स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनांक 30.08.2016 में पत्रावली राजस्व मंडल अजमेर से आने का उल्लेख किया हुआ है। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अधिवक्ता को सूचित करने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये एवं पत्रावली में एक दिन की पेशी नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 31.08.2016 को पत्रावली वास्ते शहादत प्रतिवादी हेतु दिनांक 09.09.2016 नियत की गई। दिनांक 09.09.2016 को पीठासीन अधिकारी विराजे नहीं है की मुहर लगाई जाकर पत्रावली में दिनांक 14.09.2016 पेशी नियत की गई। एवं उक्त पेशी को अपीलांट की शहादत बंद करने के आदेश प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट सम्पतराज का मौके पर कब्जा काश्त लेने का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था, ऐसी सूरत में कब्जे के अभाव में प्राथमिक बंटवाडे की डिक्री हासिल कर बंटवाडे की ओट में कब्जा नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरान का वाद के पद संख्या 3 में प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार वादी के हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 के हिस्से में आयी अलग अलग भूमि का सीमांकन बाई मीट एंड बाण्उड्स के करवाया जाकर अलग अलग रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से खातेदारी में अंकन करवाय जावे, तथा इसी अनुरूप कब्जा दिलाया जावे। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वंय एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा आपसी सहमति बंटवाडा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को वादग्रस्त आराजी के संबध में पूर्व में हुए बंटवाडे का पूर्णतया ज्ञान था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा पूर्व में वादग्रस्त आराजी के संबध में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92,ए 188 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसके पद संख्या 03 में " पेमाराम द्वारा अपनी हिस्से की कृषि भूमि में स्थित 1/3 में से 10/13 हिस्सा सम्पतराज को जरिये पंजीबद्ध विक्रय हस्तान्तरित करने एवं उक्त आराजी पर सम्पतराज का कब्जा होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाने के पश्चात पत्रावली दिनांक 30.08.2016 को पुन नंबर पर ली गई एवं उक्त आदेशिका पर अपीलांट के पुत्र नत्थाराम के अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था किन्तु अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरान का वाद के पद संख्या 3 में प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार वादी के हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 4 के हिस्से में आयी अलग अलग भूमि का सीमांकन बाई मीट एंड बाण्उड्स के करवाया जाकर अलग अलग रूप से खातेदारी में अंकन करवाया जावे, तथा इसी अनुरूप कब्जा दिलाया जाने बाबत निवेदन किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा पूर्व में वादग्रस्त आराजी के संबध में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92,ए 188 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसके पद संख्या 03 में "पेमाराम द्वारा अपनी हिस्से की कृषि भूमि में स्थित 1/3 में से 10/13 हिस्सा सम्पतराज को जरिये पंजीबद्ध विक्रय हस्तान्तरित करने एवं उक्त आराजी पर सम्पतराज का कब्जा होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल के समक्ष अपीलांट के पुत्र नत्थाराम द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 09.08.2016 द्वारा सारहीन होने से खारिज किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2016 को पत्रावली पुनः नंबर पर ली गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.08.2016 पर अपीलांट के पुत्र के अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पूर्णतया जानकारी थी, किन्तु अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो की विधिवत पालना करते हुए जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 2/2016 बउनवान जेठाराम बनाम सम्पतराज वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2016 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली